

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-12012023-241926
SG-DL-E-12012023-241926असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2023/ पौष 19, 1944	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 440
No. 17]	DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2023/PAUSHA 19, 1944	[N. C. T. D. No. 440

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 जनवरी, 2023

F. No. R.1254/TO(S)/TC-Felling/19-20/12546-53.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में उपराज्यपाल राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में सामान्य पूल आवासीय आवास कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु नीचे दिए गए, विवरण के अनुसार 15.17 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करते हैं।

परियोजना का नाम और स्थान	वृक्षों की संख्या				उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
	बचाए जाने वाले	प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में सामान्य पूल आवासीय आवास कॉलोनी के पुनर्विकास हेतु।	1547	1200	30	1230	12300

योग	1547	1200	30	1230	12300
-----	------	------	----	------	-------

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 12300 का प्रतिपूरक वृक्षारोपण (10 x 1230 = 12300 अर्थात् वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षों का दस गुना) प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देसी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का नीचे उल्लिखित 34 में से 04 स्थलों पर किया जाएगा।	12300	7,01,10,000/-	वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक (दक्षिण)
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 1200 वृक्षों का प्रत्यारोपण परियोजना स्थल के अंदर अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

प्रतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	प्रतिपूरक वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	भू-निर्देशांक
1.	मैन ग्रीन सेक्टर-19 बी द्वारका (मल्टी स्टोरी के पास)	2000	197751.75	28°34'39.44"N 77°2'41.04"E 28°34'40.22"N 77°2'28.40"E 28°34'59.79"N 77°2'16.38"E 28°35'5.92"N 77°2'23.81"E
2.	जिला उद्यान हैदरपुर (नानक वाला बाग)	1100	21895.5	28°43'41.00"N 77°8'57.41"E 28°43'44.32"N 77°8'51.80"E 28°43'47.73"N 77°8'59.16"E 28°43'44.52"N 77°9'0.39"E
3.	पार्क जहांगीर पुरी भलस्वा (संजय एन्क्लेव के पीछे)	8000	94638.1	28°43'56.07"N 77°9'36.87"E 28°44'2.54"N 77°9'31.88"E 28°44'6.97"N 77°9'32.95"E 28°44'8.39"N 77°9'47.47"E 28°44'2.19"N 77°9'47.85"E
4.	80 मीटर रोड के साथ हरित पट्टी, सेक्टर-ए-5, नरेला (144 एसएफएस के पीछे)	1200	22253	28°51'27.39"N 77°6'12.82"E 28°51'27.15"N 77°6'12.48"E 28°51'53.57"N 77°5'56.55"E 28°51'53.87"N 77°5'57.55"E
	Total	12300	336538.4	

नियम एवं शर्तें

1. **केंद्रीय लोक निर्माण विभाग**, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्षों की अवधि के लिए पौधों के सम्पूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु उपरोक्तानुसार 7,01,10,000/- रुपये ¼सात करोड़ एक लाख दस हजार मात्र @ रु. 57000/- प्रति वृक्ष) की राशि अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी और यदि उपभोगी संस्था द्वारा 2, 3 और 4 में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इस राशि को वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।
2. वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक (दक्षिण) द्वारा अनुमति जारी करने से पूर्व उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण का सटीक क्षेत्र का भू-निर्देशांक / केएमएल फ़ाइल प्रस्तुत किया जाएगा जहां प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया जाना है।
3. **उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों का प्रत्यारोपण / कटाई शुरू करने से पहले पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें :-**
 - a. दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक- को विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।
 - b. उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।
 - c. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षों की कटाई / प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमा या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।
 - d. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की कटाई / प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
 - e. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।
4. **वृक्षों के कटाई के दौरान पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें :-**
 - a. क्र.सं. 2 & 3 में शर्तों के अनुपालन होने के तुरंत बाद उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।
 - b. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति, 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
 - c. उपभोगी संस्था प्रतिरोपित वृक्षों का न्यूनतम तीन वर्षों तक उसी प्रत्यारोपण एजेंसी के माध्यम से अनुरक्षण करेगी जिसके द्वारा प्रत्यारोपण किया गया था।
 - d. उपभोगी संस्था द्वारा 30 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा। 30 वृक्षों की अनुमति 1200 वृक्षों के सफल प्रत्यारोपण और सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।
 - e. उपभोगी संस्था द्वारा प्रत्यारोपण / काटे जाने वाले वृक्षों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
 - f. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा / प्रत्यारोपण किया जाएगा जब तक कि पक्षी उसे स्वतः छोड़ न दें।

- g. उपभोगी संस्था द्वारा 1230 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा।
 - h. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
 - i. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक को भी दी जाएगी।
 - j. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक से दुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 - k. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान में 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।
 - l. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
 - m. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।
 - n. उपभोगी संस्था के द्वारा अनुमोदित वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।
 - o. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 की धारा 4 (6-बी) के अंतर्गत सभी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है और इसका सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।
 - p. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रतिरोपित वृक्षों के लिए जो 15 फीट ऊँचाई और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों में जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें 1:5 के अनुपात में लगाया जाएगा। आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपभोगी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी और वृक्षारोपण स्वयं की लागत पर किया जाएगा।
5. वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक द्वारा सफलतापूर्वक वृक्षारोपण और सुरक्षा जमा राशि जारी करने पर विचार करने के लिए आवश्यक शर्तें:-
- a. उपरोक्त तालिका 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 12300 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।
 - b. 1230 वृक्षों के प्रत्यारोपण/ काटे जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 12300 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव तथा उसके बाद उनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा।
 - c. यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है।

- d. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण / वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
 - e. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्य जीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को प्रस्तुत की जाएगी। प्रारूप की एक प्रति [https:// www.treeremoval.delhigovt.nic.in](https://www.treeremoval.delhigovt.nic.in) पर उपलब्ध है।
 - f. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो।
 - g. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण / प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।
 - h. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
 - i. उपभोगी संस्था के साथ प्रतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के संतोषजनक संयुक्त स्थल निरीक्षण के बाद ही वृक्ष हटाने की अंतिम अनुमति दी जायेगी।
6. यदि उपरोक्त में से कोई भी शर्त उपभोगी संस्था द्वारा पूरी नहीं की जाती है, तो संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक द्वारा दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
 7. 1230 वृक्षों को प्रत्यारोपण / कटाई के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 9th January, 2023

F. No. R.1254/TO(S)/TC-Felling/19-20/12546-53.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 15.17 ha for Redevelopment of General Pool Residential Accommodation Colony at Sriniwaspuri, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Name of the Project	To be saved	Number of trees			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
		Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Redevelopment of General Pool Residential Accommodation Colony at Sriniwaspuri, New Delhi.	1547	1200	30	1230	12300
Total	1547	1200	30	1230	12300

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

SN	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	Compensatory Plantation of 12300 number of tree saplings (10 x 1230 = 12300, i.e., ten times the number of trees permitted for transplantation / felling of trees) consisting of species of Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikar and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at 04 sites out of 34 as mentioned below.	12300	7,01,10,000/- /-	Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South)
(b)	Transplantation of 1200 numbers of trees which are standing on site shall be done by User Agency within the project site with their own funds.			

The details of Compensatory Plantation is as under:-

S.No.	Location of CP	Nos. of saplings to be planted	Area (in SQM.)	Geo-coordinates
1.	Main Green at Sec. 19B Dwarka (Near Multi-Storey).	2000	197751.75	28°34'39.44"N 77°2'41.04"E 28°34'40.22"N 77°2'28.40"E 28°34'59.79"N 77°2'16.38"E 28°35'5.92"N 77°2'23.81"E
2.	District Park Haiderpur (Nanak Wala Bagh)	1100	21895.5	28°43'41.00"N 77°8'57.41"E 28°43'44.32"N 77°8'51.80"E 28°43'47.73"N 77°8'59.16"E 28°43'44.52"N 77°9'0.39"E
3.	Park Jahangir Puri Bhalswa (Behind Sanjay Enclave)	8000	94638.1	28°43'56.07"N 77°9'36.87"E 28°44'2.54"N 77°9'31.88"E 28°44'6.97"N 77°9'32.95"E 28°44'8.39"N 77°9'47.47"E 28°44'2.19"N 77°9'47.85"E
4.	Green Belt along 80m Road, Sector-A-5, Narela (Behind 144 SFS)	1200	22253	28°51'27.39"N 77°6'12.82"E 28°51'27.15"N 77°6'12.48"E 28°51'53.57"N 77°5'56.55"E 28°51'53.87"N 77°5'57.55"E
	Total	12300	336538.4	

TERMS & CONDITIONS

- Central Public Works Department (CPWD)** herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. **7,01,10,000/-** (Seven Crore One Lakh Ten Thousand Only, i.e., /- @ Rs. 57000/- per tree) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven (7) years and the same shall be forfeited and utilized for plantation by the Forest Department if terms and conditions mentioned at 2, 3 & 4 are not followed by User Agency.
- The User Agency shall submit Geo-Coordinates/ KML file of the exact area where compensatory plantation is to be carried out before issuing of permission by Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South).
- The conditions required to be fulfilled before starting transplantation/felling of trees by User Agency:-**
 - Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests in compliance with Section-12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
 - User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.
 - The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.

- d. Before the removal of trees from the site is commenced, all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
- e. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in Forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

4. The conditions required to be fulfilled during the felling of trees:-

- a. Transplantation of trees shall be initiated immediately after conditions in point no. 2 & 3 are satisfied and should be completed not later than six (06) months of such date, after which a completion report has to be submitted to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.
- b. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy, 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
- c. User Agency shall maintain the transplanted trees for minimum three years by engaging the same transplantation agency which has carried out the transplantation.
- d. The transplantation shall be carried out prior to felling of 30 numbers of trees permitted herein. The 30 trees shall be removed / felled after successful transplantation of 1200 trees and submission of compliance certificate to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests.
- e. The progress report of transplantation / felling shall be submitted to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests along with complete details of trees by the User Agency.
- f. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled / transplanted till the same is abandoned by the birds.
- g. Transplantation / felling of any tree apart from 1230 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994.
- h. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
- i. The lops & tops of the trees shall be sent / supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests by User Agency.
- j. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests by User Agency.
- k. Transplantation of trees and transportation of forest produce arising there from to the public crematorium shall be completed within 90 days.
- l. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
- m. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
- n. All activities as submitted under approved Tree Preservation Plan should be followed scrupulously.
- o. It must be ensured that all provisions under section 4 (6-b) of Tree Transplantation Policy, 2020 have been followed and details of the same should be submitted to the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests concerned.
- p. User Agency must ensure that, for all transplanted trees that do not survive indigenous tree species with 15 feet height and at least 6 inch diameter is planted in 1:5 ratio. The excess land required should be provided by User Agency & plantation has to be done at own cost.

5. The conditions required to be fulfilled for considering successful plantation & release of Security Deposit by the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests :-

- a. 100% Compensatory Plantation of 12300 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as mentioned on table above.
- b. 12300 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of felling / transplantation 1230 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.

- c. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer / Deputy Conservator of Forests concerned (as deposits).
 - d. The land over which compensatory plantation/ Tree transplantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the State Government.
 - e. User Agency shall maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Government of NCT of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests at the end of every financial year. A copy of format is available in <https://www.treeremoval.delhigovt.nic.in>.
 - f. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation/ transplantation.
 - g. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.
 - h. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
 - i. Final tree felling permission shall only be given after satisfactory joint site inspection of the Compensatory Plantation site with User Agency.
6. If any of the above condition is not fulfilled by the User Agency, concerned Tree Officer/ / Deputy Conservator of Forests shall initiate action as per section 12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
 7. Permission for transplantation/ felling of 1230 numbers of tress is being granted to the User Agency at their own risk and without prejudice the claim(s) of any other person(s) who may be having any right(s) over the land or the trees.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Principal Secy. (Environment & Forests)